दस रुपये INDIA TEN RUPEES भारत पाँच रुपये सत्यमेव जयते FIVE RUPEES

(449)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण 2502/PBR/2013

1. जगदीश पुत्र राजाराम यादव
2. फूलबाई पत्नि जगदीशप्रसाद यादव
3. आकाश नावालिग पुत्र जगदीश ब जेर सरपरस्त माँ कुसुमबाई पत्नि जगदीश यादव
4. प्रियंका पुत्री जगदीश यादव

निवासीगण रामद्वारा विदिशा ———आवेदक

विरूद्ध

1. कोमलबाई पत्नि स्व. रघुवीर सिंह
   निवासी ग्राम ठर्र तहसील विदिशा
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रघुवीर सिंह
   निवासी ग्राम ठर्र तहसील विदिशा मृत वारिस
   सविताबाई पत्नि राजेन्द्र सिंह
3. भानूप्रसाद पुत्र स्व. रघुवीर सिंह
   निवासी ग्राम ठर्र तहसील विदिशा
4. सावित्री बाई पुत्री स्व. रघुवीर सिंह
   निवासी ग्राम खडेर तहसील नटेरन
5. लक्ष्मीबाई पुत्री स्व. रघुवीर सिंह
   निवासी ग्राम विगन तहसील विदिशा
6. रामकुमार पुत्री स्व. रघुवीर सिंह
   निवासी ग्राम विगन तहसील विदिशा

अपर कलेक्टर जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–07–2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

XXIX(a)-BR(H)-11

(449)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2502/पीबीआर/13 **जिला** - **विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से ,अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	